नियमावली

1. संस्था का नाम : सत्येन्द्र सुमन पाल शिक्षण संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : 592 आलू थोक साण्डी रोड पोस्ट तहसील व जिला हरदोई
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

आजीवन सदस्य :–

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 5000/–रूपये नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

सामान्य सदस्य :–

जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते होगें एवं संस्था के विकास हेतु 200/–रूपये वार्षिक शुल्क निःस्वार्थ भाव से देगें वह संस्था का सामान्य सदस्य होगें।

1 Jurai Singh
2 [signature]
3 Vipundra Singh
4 Murari Lal

5. सदस्यता की समाप्ति :–

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर।
4. त्यागपत्र पारित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

6. संस्था के अंग :–

(अ) साधारण सभा

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा :–

गठन :–

साधारण सभा का गठन आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठकें :–

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती हैं।

सूचना अवधि :–

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

गणपूर्ति :–

साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यो की उपस्थित गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :–

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

(Stamp: निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... लखनऊ (उ०प्र०))

सत्य प्रतिलिपि
27.05.17

सुमनपाल
प्रबन्धक
सत्येन्द्र सुमन पाल शिक्षण संस्थान
592, आलूथोक, हरदोई

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :-

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रवंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवम् कर्तव्यः-

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट /वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन एवं परिवर्धन करना।
4. संशोधन प्रक्रिया 2/3 सदस्यों के बहुमत से करना।

हस्ताक्षर-

1. Surajpal Singh
2. [illegible]
3. Vipinendra Singh
4. Manhar
5. [illegible]
6. Thelen Lal
7 संदीप कुमार
8. Maharishi P. Singh
9. मधु पाल
10. सुरेन्द्रपाल
11. कमलारानी

8.प्रबन्धकारिणी समितिः-

गठनः-

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबंधकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-एक, उपाध्यक्ष-एक, प्रबन्धक-एक, उप-प्रबन्धक-एक, तथा 7 सदस्य होगे इस प्रकार कुल संख्या 11 होगी जो आवश्यकता पड़ने पर बढाई जा सकती है। प्रबन्धकारिणी समिति का बचाव प्रत्यक्ष विधि से होगा।

बैठकें:-

प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैंठक साल मे चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधिः-

प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं अन्य बैठक की सूचना 72घण्टें पूर्व लिखित रूप से दीं जायेगी।

गणपूर्तिः

प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्यो की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

रिक्त स्थान की पूर्तिः-

प्रबंधकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यो के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवम् कर्तव्य -

1. संस्था की उन्नति हेतु प्रयास करना ।
2. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।

सत्य प्रतिलिपि

[illegible] सहायक
[illegible] डिप्टी रजिस्ट्रार
[illegible] सोसाइटीज एवं चिट्स
[illegible] लखनऊ
27/05/14

सुमनपाल
प्रबन्धक
सत्येन्द्र सुमन पाल शिक्षण संस्थान
592, आलूथोक, हरदोई